

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2018(रसद)
पंजीयन दिनांक 16.07.2018

राज्य सरकार जरिए हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

.....प्रार्थी

बनाम

श्री पन्नालाल तेली पिता भूरालाल तेली निवासी लाकोला, तहसील गंगापुर जिला
भीलवाड़ा

.....विपक्षी

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं
अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत 6ए में
जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण कराने बाबत।

उपस्थिति:- 1-श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 06.08.2019



प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.05.2017 को पुलिस उप अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त सूचना के आधार पर वन्दना खोरवाल जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़, श्री सुरेश कुमार खटीक उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ एवं प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सरहद भण्डारिया पर स्थित श्री पन्नालाल तेली के टिन शेड के बाड़े पर पहुंच मौके पर जांच की गई जहां मौके पर पन्नालाल तेली पिता भूरालाल तेली मिला जिसने स्वयं को कारोबार करने का अधिकृत व्यक्ति माना। वक्त निरीक्षण परिसर में 32 ड्रम मिले उक्त ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया जिसे डीप से नापने पर उक्त ड्रमों में कुल 5280 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया है। मौके पर भरे हुए ड्रमों में से नमूना लिया गया तथा मौके पर उपस्थित पन्नालाल पिता भूरालाल तेली से पेट्रोलियम पदार्थ रखने, व्यापार करने हेतु आवश्यक दस्तावेज मांगने पर दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया गया। इस प्रकार श्री पन्नालाल पिता भूरालाल तेली द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान पेट्रोलियम पदार्थ आदेश 1990 व आई. पी. सी. की धारा 379 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा 5280 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम राजसात करने का आदेश प्रदान करावें।


जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोल-डीजल की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। विपक्षी पन्नालाल तेली पिता भूरालाल तेली निवासी लाकोला द्वारा अपने टिन शेड के बाड़े पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद फरोक्त करते पाया तथा उसके बाड़े पर 32 ड्रमों में कुल 5280 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मौके पर पाया गया तथा उक्त स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थ रखने, व्यापार करने के संबंध में कोई दस्तावेज, अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार विपक्षी द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना तथा उनकी कालाबाजारी करना सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 5280 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम राजसात किये जाने योग्य है।

अतः दिनांक 01.05.2017 को जब्तशुदा 5280 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा 5280 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़